_उच्च न्यायालय इलाहाबाद_
लखनऊ पीठ, लखनऊ

_विषय :–_ निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी

_तिथि :–_ 27.04.2013

समय :– प्रातः 11:00 बजे

_स्थान :–_ उच्च न्यायालय परिसर, निकट पुरानी पुलिस चौकी

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायालय के निम्नलिखित नौ वाहनो़ं की नीलामी की जानी है–

1. UP 70 W 7470	2. UP 70 W 7755	3. UP 70 W 7786
4. UP 70 W 8433	5. UP 70 X 0777	6. UP 32 AP 4560
7. UP 32 AP 5169	8. UP 32 AR 0006	9. UP 32 AG 0503

उपरोक्त नीलामी दिनांक 27.04.2013 को प्रातः 11:00 बजे उच्च न्यायालय परिसर में की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता नियमानुसार प्रवेश पास लेकर नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व वाहनों का निरीक्षण कर सकते है। नीलामी की शर्ते न्यायालय के स्टाफ कार अनुभाग एवं नोटिस बोर्ड पर किसी भी कार्य दिवस में समय **10:00 से 03:00 बजे** तक देखी जा सकती है एवं उक्त नोटिस न्यायालय की वेबसाईट पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

निबन्धक

कार्यालय निबन्धक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद
लखनऊ पीठ, लखनऊ

संख्या :–	9 वाहन
विषय :–	निष्प्रयोज्य वाहनों की नीलामी
तिथि :–	27.04.2013
स्थान :–	उच्च न्यायालय परिसर, निकट पुरानी पुलिस चौकी
विवरणः–	निम्नलिखित सभी एम्बेसडर कार –

1. UP 70 W 7470	2. UP 70 W 7755	3. UP 70 W 7786
4. UP 70 W 8433	5. UP 70 X 0777	6. UP 32 AP 4560
7. UP 32 AP 5169	8. UP 32 AR 0006	9. UP 32 AG 0503

नीलामी की शर्ते

1. नीलामी समिति को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकार कर दे, अन्तिम बोली की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा की जाएगी।
2. वाहनों पर बोली बोलने वाले को नीलामी में भाग लेने से पूर्व रू.5000/– नकद जमा करना होगा जो नीलामी समाप्त होने पर तुरन्त वापस कर दी जाएगी।
3. नीलामी होने वाले वाहन की नीलामी से एक दिन पूर्व 26.04.2013 को देखा जा सकता है, बोली बोलने वाले का यह स्वयं का उत्तरदायित्व होगा कि बोली से पूर्व उक्त वाहन का पूर्ण निरीक्षण कर ले।
4. जिस बोलीदाता की अन्तिम बोली स्वीकार की जाएगी उसे बोली की 75% धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी, यदि बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा 75% धनराशि तुरन्त जमा नहीं की गयी तो बोली निरस्त समझी जाएगी व जमानत की अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
5. सक्षम अधिकारी द्वारा अन्तिम बोली की स्वीकृति प्राप्त होने पर अधिक बोली बोलने वाले को शेष धनराशि एक सप्ताह में जमा करनी होगी, अन्यथा बोली निरस्त करके जमा धनराशि जब्त कर ली जाएगी व वाहन की पुनः नीलामी की जायेगी।
6. वाहन की अन्तिम बोली जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं की जाती है, तब तक वाहन सरकारी गैराज में रहेगा। क्रेता अपने संतोष के लिए उसकी देख रेख कर सकता है। बाद में वाहनों के बारे में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
7. जब तक समिति द्वारा स्वीकार की गयी अन्तिम बोली को विभागाध्यक्ष द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित नहीं किया जाता है, तब तक नीलाम की गयी वाहन पर चौकसी के लिए वांछित प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति की होगी, लेकिन नीलाम की गयी वाहन उसी परिसर में रखी जाएगी जहॉ नीलाम हुयी थी।
8. वाहन जहॉ है, जैसा है, की स्थिति मे नीलाम होगा।
9. नीलाम की गयी वाहन को उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को तभी दिया जाएगा जबकि उसने वाहन का पूरा भुगतान कर दिया हो और विभाग से वाहन ले जाने की अनुमति ले ली हो।
10. जिस व्यक्ति के हक में नीलामी अन्तिम रूप से स्वीकार होगी उस व्यक्ति को वाहन का पूरा मूल्य जमा करने देने के एक सप्ताह के अन्दर उस वाहन को नीलामी स्थल से हटा लेना होगा।
11. उपरोक्त नीलामी शर्तो के विषय में यदि कोई विवाद उठता है तो निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ पीठ, लखनऊ द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
12. नीलामी के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार लखनऊ होगा।
13. नियमानुसार अन्य कर नीलामी जिसके पक्ष में हुयी है, के द्वारा देय होगा।
14. वाहन का न्यूनतम निधारित मूल्य नीलामी के समय बताया जाएगा।

निबन्धक
उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ,
लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराए जाने हेतु प्रेषित :–

1. *परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ*
2. *राज्य सम्पत्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ*
3. *विषेष सचिव, वित्त अनुभाग – ई – 12, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ*
4. *प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ*
5. *जिलाधिकारी, लखनऊ*
6. *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ।*
7. *निदेशक,सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (विज्ञापन प्रभाग), उत्तर प्रदेश, पार्क रोड, लखनऊ।*

निबन्धक